न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–448/2025
आदेश

10.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त प्रमोद सिंह की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 351(2), 352, 109, 3(5) के अधीन दर्ज दिनारा थाना कांड संख्या 90/2025 में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में डॉ0 महादेव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णा सिंह को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक बसंत सिंह अपने खेत में लगे सरसो की फसल को अपने छाटे भाई भगवान सिंह एवं दत्तक पुत्र मनीष कुमार के साथ कटवा रहा था। कुछ फसल कटवाने के बाद जब सूचक जाने लगा तो अभियुक्त अरविन्द सिंह ने सूचक पर गोली चला दी जो सूचक को नहीं लगी। सूचक भाग कर अपने घर में घुस गया। सूचक के भाई भगवान सिंह एवं दत्तक पुत्र मनीष कुमार पर अभियुक्तों ने लाठी एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। आगे अभियोजन का वाद यह है कि सूचक का कोई संतान नहीं था इसलिए अभियुक्तगण बार–बार सूचक को जान मारने का प्रयास करते हैं। आगे अभियोजन का वाद यह है कि अभियुक्तों के विरुद्ध एक आपराधिक वाद 209/2022 पूर्व से लंबित है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त को इस वाद में गंदी ग्रामीण राजनीति और पूर्व के जमीनी विवाद के कारण झूठा फंसा दिया गया है। जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घ ाटना नहीं घटी थी। अभियोजन का पूरा वाद सामान्य एवं अस्पष्ट है। आवेदक अभियुक्त का तीन आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन कोई अभियोग नहीं बनता है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक

लगातार
10.03.2026

अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। **आवेदक अभियुक्त का तीन आपराधिक इतिहास है।** आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सूचक के पुत्रों एवं अन्य के साथ हरवे–हथियार, तलवार, लोहे का रॉड एवं लाठी से लैस होकर जान मारने की नीयत से मार–पीट करने का अभियोग है तथा चिकित्सक ने जख्मी भगवान सिंह एवं मनीष कुमार के सर पर जख्म पाया था। केस दैनिकी के कंडिका 10 में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध यह साक्ष्य आया है कि आवेदक अभियुक्त ने सूचक के भतीजा मनीष कुमार के शरीर के मर्मस्थान सिर पर लोहे के रॉड से बार–बार मारा था, जिससे उसका सिर फट गया था। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों के आलोक में मैं आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।